रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082020-221067
CG-DL-E-11082020-221067

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SRAVANA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

नियम

सं.11012/3/2019-आई.ई.एस.—भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान में रिक्तियों को भरने के लिए 2020 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है। सभी उम्मीदवारों (महिला/पुरूष/ ट्रांसजेंडर) से अनुरोध है कि वे इन नियमों और इन नियमों से तैयार की गई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा सूचना को ध्यान से पढ़ लें।

2. परीक्षा परिणामों के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] तथा बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित रूप में किया जाएगा।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो:-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(घ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जांबिया, मालावी, जेरे तथा इथोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन कर आया हो:परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) और (घ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य हों उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

5. (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु पहली अगस्त, 2020 को 21 वर्ष की होनी चाहिए किन्तु 30 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1990 से पहले और 1 अगस्त, 1999 के बाद का न हो।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी:—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(2) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र हैं;

(3) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(4) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 अगस्त, 2020 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 2020 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(5) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, आपातकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 अगस्त, 2020 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष तक;

(6) **(अ)** अंधता और निम्न दृश्यता, **(ब)** बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है **(स)** चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास **(द)** आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग **(ई) अ** से **द** के

अधीन दिवयांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिवयांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है, के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक

टिप्पणी-I : जो उपर्युक्त नियम 5(ख) के किन्हीं अन्य खंडों, अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों तथा **(अ)** अंधता और निम्न दृश्यता, **(ब)** बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है, **(स)** चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास, **(द)** आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग और **(ई) अ** से **द** के अधीन दिवयांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिवयांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी 2: भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुन: रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी -3 : उपर्युक्त नियम 5 (ख)(4) तथा (5) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को आयु संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबटेंट अथवा नॉन-कंबटेंट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।"

टिप्पणी 4: उपर्युक्त नियम 5(ख) (6) के अन्तर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु पात्रता पर भी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उ(रण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज हो।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उद्धरण तथा उन जैसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुच्छेद के इस भाग में आए मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 1:-उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और उसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 2:- उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें के उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार आवेदन पत्र में प्रस्तुत कर देने के और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें या आयोग की अन्य किसी परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. परीक्षा में प्रवेश हेतु भारतीय आर्थिक सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं अथवा केन्द्र

सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र/प्रायोगिक अर्थशास्त्र/ व्यावसायिक अर्थशास्त्र/अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

टिप्पणी 1:- यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है । ऐसे उम्मीदवारों को, यदि अन्यथा पात्र होंगे तो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अन्तिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा । उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा । अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का ऐसा प्रमाण भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 के विस्तृत आवेदन फार्म भरे जाने की नियत तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की तारीख का होना चाहिए।

टिप्पणी 2 :- विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है ।

टिप्पणी 3 :-जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है तथा जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

7. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी ।

8. सभी उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थाई हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं अथवा जो सरकारी उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह परिवचन (अन्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है ।

9. किसी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने और परीक्षा में प्रवेश के लिए उसकी योग्यता या अयोग्यता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिसके लिए आयोग में उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णत: अनन्तिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधरित होगा । यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वह पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन) न हो ।

11. **जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है :**

जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है :

(i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है अर्थात् :

(क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ख) दबाव डालना, या

(ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं. जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) आवेदन फार्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना, अथवा

(vi) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है. अर्थात्:

(क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना,

(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुडे व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या

(viii) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना, या

(ix) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना, या अथवा असंगत सामग्री अथवा

(x) परीक्षा भवन में दुर्व्यव्यवहार करना, जिसमें उत्तर-पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा

(xi) परीक्षा संचालित करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(xii) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(xiii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गये प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा

(xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी/किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे-

(क) इस नियम के तहत आयोग द्वारा किसी उम्मीदवार को उस परीक्षा के लिये अयोग्य ठहराया जाएगा है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा ।

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।

11.1 कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उप नियम/खंड (i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उप नियम/खंड (xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

12. जो उम्मीदवार सेवा के लिए लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षा हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा ।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों या ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] के उम्मीदवारों, इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षा हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है ।

13. (1) साक्षात्कार के बाद आयोग प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अन्तिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उन उम्मीदवारों में से जिन्हें आयोग योग्य समझेगा उनकी उन अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा जिन्हें इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरा जाना है।

(2) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक स्तर में छूट देकर उनकी अनुशंसा की जा सकती है। बशर्ते कि ये उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों :

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में अर्हता या चयन मापदण्डों में रियायत/छूट दिए बिना की जाती है, उनका समायोजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग] तथा पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा।

. बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें परीक्षा के सभी स्तरों पर आयोग के विवेकानुसार निर्धारित अर्हता स्तर में छूट दे सकता है । बशर्ते कि जब कोई बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीद्वार सामान्य अथवा अ.जा. अथवा अ.ज.जा. अथवा अ.पि.व. अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीद्वारों के लिये अपेक्षित संख्या में उसकी अपनी योग्यता में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करता है, बेंचमार्क दिव्यांग अतिरिक्त उम्मीद्वारों अर्थात उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीद्वारों की आयोग द्वारा अनुशंसा शिथिलीय मानदण्डों पर की जाएगी तथा इन नियमों में अनुवर्ती संशोधन यथासमय अधिसूचित किए जाएंगे ।

15. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षाफल की सूचना किसी रूप में और किसी प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा तथा आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

16. परीक्षा में सफल होने से आवंटन एवं नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच प्रक्रिया के पश्चात इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि उम्मीदवार अपने चरित्र तथा पूर्ववृत्त तथा पात्रता के प्रयोजन हेतु परीक्षा प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों तथा आरक्षण संबंधी किसी भी प्रकार का लाभ लेने के संबंध में किए गए दावों के संबंध में तथा सेवा आवंटन/नियुक्ति संबंधी चिकित्सा जांच में उपयुक्त पाए गए हैं । इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

17. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके । सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाता है कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षण भाग-I कराई जाएगी। तथा इस परीक्षा के आधार पर अन्तिम रूप से सफल घोषित किए जाने पर चिकित्सा परीक्षा भाग-II कराई जाएगी। भाग-I तथा भाग-II के चिकित्सा परीक्षा विवरण इन नियमावली के परिशिष्ट-III में दिए गए हैं । उम्मीदवार को अपीलीय मामले के अलावा चिकित्सा परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड का कोई शुल्क नहीं देना होगा । ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए मानक भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2020 की मेडिकल परीक्षा शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के समर्पित वेब-पेज पर पोस्ट किए जाएंगे।

टिप्पणी:- कहीं निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें । नियुक्ति से पहले उम्मीदवार की किसी प्रकार की डॉक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किसी प्रकार का होना चाहिए, उसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त हुए सैनिकों को सेवा की आवश्यकता के अनुरूप डॉक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी ।

18. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का लाभ उठाने के मामले में पात्रता की शर्तें वही होंगी, जो "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के अंतर्गत निर्धारित हैं। एकाधिक विकलांगता वाले उम्मीदवार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के अंतर्गत केवल श्रेणी (ड.)-एकाधिक विकलांगता, के तहत आरक्षण के पात्र होंगे। ऐसे उम्मीदवार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) के तहत श्रेणी (क) से (घ) के अंतर्गत, 40% तथा इससे अधिक विकलांगता होने के आधार पर, किसी अन्य विकलांगता श्रेणी के तहत आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-IV में दिया गया है।

बशर्ते कि बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को, चिन्हित सेवा/पद की अपेक्षाओं के अनुसार, शारीरिक अपेक्षाओं/कार्यात्मक वर्गीकरण (क्षमता/अक्षमता) के संदर्भ में अर्हता की विशेष शर्तों को भी पूरा करना होगा।

19. किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा । उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों का पालन करता हो तथा उसके पास इस प्रकार की पात्रता का प्रमाण पत्र हो। यदि कोई उम्मीदवार भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है तो आयोग दवारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज.जा.को अ.जा., अ.पि.व. को अ.जा./अ.ज.जा. या अ.जा./अ.ज.जा.को

अ.पि.व., अनुसूचित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत सामान्य मेरिट के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (सेवा संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) के किसी भी उप-श्रेणी के उम्मीदवार को उपनी विकलांगता की उप-श्रेणी को बदलने की अनुमति नहीं जाएगी।

जबकि उपर्युक्त सिद्धांत सामान्य रूप में पालन किया जाएगा, वहां कुछ मामलों में भी हो सकता है, जहां किसी भी सरकारी समुदाय के किसी भी आरक्षित समुदायों की सूची में एक सरकारी अधिसूचना जारी करने और 3 माह से अधिक अंतर नहीं हो। उम्मीदवार द्वारा आवेदन जमा करना। ऐसे मामलों में सामान्य से आरक्षित को समुदाय के परिवर्तन का अनुरोध योग्यता पर आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है। उम्मीदवार के मामले में दुर्भाग्य से परीक्षा के दौरान बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति बनने के बाद, उम्मीदवार को वैध दस्तावेजों का उत्पादन करना चाहिए ताकि आयोग को योग्यता के मामले में निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। अभ्यर्थी के मामले में दुर्भाग्य से परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति बनने के बाद, उम्मीदवार को वैध विकलांग दस्तावेज़ों का उत्पादन करना चाहिए, जिसमें उसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 40% को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सक्षम करने के लिए प्रदान किया गया है - बशर्ते वह नियम / उपरोक्त नियम 18 के अनुसार भारतीय आर्थिक सेवा के लिए पात्र नहीं है।

20. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. ईडब्ल्यूएस [आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग]/बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति./पूर्व सेनाकर्मियों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उपर्युक्त लाभों/नोटिस से संबंध नियमावली में दिए गए अनुबंध के अनुसार उम्मीदवारों के पास अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारफप में आवश्यक सभी प्रमाण पत्र मौजूद होना चाहिए तथा इन प्रमाण पत्रों पर आवेदन जमा करने की निर्धारित तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की तारीख अंकित होनी चाहिए । भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2020 के लिए आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए आय और संपदा प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए ।

21. जिस व्यक्ति ने, :--

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबन्ध किया हो, जिसका पहले जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबन्ध किया है, तो वह उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार, इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसे करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

22. इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं के सम्बन्ध में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है ।

राजीव मिश्रा, सलाहकार

परिशिष्ट-I

परीक्षा की योजना

खण्ड-1

यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी ।

भाग 1 - के अर्न्तगत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, पूर्णांक 1000 होंगे ।

भाग 2 - आयोग द्वारा जिस उम्मीदवार को बुलाया जाता है उनके लिए मौखिक परीक्षा जिसके पूर्णांक 200 होंगे ।

भाग 1 - के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पूर्णांक और समय का विवरण इस प्रकार है :

भारतीय आर्थिक सेवा

क्र. सं.	विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
1.	सामान्य अंग्रेजी	100	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	100	3 घंटे
3.	सामान्य अर्थशास्त्र-I	200	3 घंटे
4.	सामान्य अर्थशास्त्र-II	200	3 घंटे
5.	सामान्य अर्थशास्त्र-II	200	3 घंटे
6.	भारतीय अर्थशास्त्र	200	3 घंटे

नोट-1 सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के पेपर जो भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, दोनों के लिए समान हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

नोट-2 : परीक्षा के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यचर्या का विवरण नीचे खंड-2 में दिए गए हैं।

2. सभी विषयों के प्रश्न-प्रत्र परम्परागत (निबंध) प्रकार के होंगे ।

3. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर, अंग्रेजी में लिखने चाहिएं । प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे ।

4(i) उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अनिवार्यतः स्वयं लिखने होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । नेत्रहीनता, चलने में असमर्थ (दोनों बाजुएं प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को स्क्राइब सुविधा की मांग किए जाने पर उपलब्ध कराई जाएगी । आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को परिशिष्ट-IV पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, ऐसे उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी ।

(ii) अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार को है। स्क्राइब का विवरण अर्थात अपना या आयोग का और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय परिशिष्ट-V के प्रपत्र में मांगा जाएगा।

(iii) स्वयं के अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) नेत्रहीन, चलने में असमर्थ (दोनों बाजुएं प्रभावित – बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु २० मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को परिशिष्ट–V पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी-1 : किसी लेखन सहायक (स्क्राइब) की योग्यता की शर्तें परीक्षा हाल में उसके आचरण तथा वह भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा के उत्तर लिखने में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों (PwBD) की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता/सकती है, इन सब बातों का नियमन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी या इन में से किसी एक अनुदेश का उल्लंघन होने पर संघ लोक सेवा आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (PwBD) की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग लेखन सहायक के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

टिप्पणी-2 : दृश्य अपंगता का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे :—

बेहतर आँख और बेहतर करना	खराब आँख उत्तम तरीके से ठीक करना	अपंगता प्रतिशत	विकलांगता श्रेणी
6/6 से 6/18	6/6 से 6/18	0%	0
	6/24 से 6/60	10%	0
	6/60 से 3/60 से कम	20%	I
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	30%	II (एक आँख वाला व्यक्ति)
6/24 से 6/60 अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर 20 डिग्री तक दृश्य क्षेत्र 40 से कम या मैक्युला सहित होमिनायापिआ	6/24 से 6/60	40%	III क (अल्प दृष्टि)
	6/60 से 3/60 से कम	50%	III ख (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	60%	III ग (अल्प दृष्टि)
6/60 से 3/60 से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 20 से कम 10 डिग्री तक	6/60 से 3/60 से कम	70%	III घ (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	80%	III ङ (अल्प दृष्टि)
3/60 से 1/60 तक से कम अथवा	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	90%	IV क (दृष्टिहीनता)

फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम			
केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	100%	IV ख (दृष्टिहीनता)

4.5 दृष्टिहीन उम्मीदवार को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टिता से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के लिए एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक न हो तो उसको मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. कम-से-कम शब्दों में सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही ढंग से की गई अभिव्यंजना को श्रेय दिया जाएगा।

9. प्रश्न-पत्रों में यथा आवश्यक एस. आई. इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा।

10. उम्मीदवारों को परीक्षा में वर्णनात्मक प्रकार के पेपरों में वैज्ञानिक (गैर-प्रोग्रामयोग्य प्रकार) कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। प्रोग्राम प्रकार कैलकुलेटर, हालांकि, अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे कैलकुलेटर का उपयोग अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों का सहारा लेने के समान होगा। परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर के लोनिंग या इंटरचेंज की अनुमति नहीं है।

11. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

भाग-2

मौखिक परीक्षा - उम्मीदवार का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीय जीवनवृत्त होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य उक्त सेवा के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचनी होगी। साक्षात्कार उम्मीदवार की सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान के परीक्षा तथा क्षमता को जांचने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक के रूप में होगा। उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझबूझ के साथ रुचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रुचि लें जिसके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

साक्षात्कार महज जिरह की प्रकिया नहीं अपितु, स्वाभाविक निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, उद्देश्य, उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को मानसिक सतर्कता आलोचना ग्रहण शक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा।

खण्ड-2

परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न-प्रत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट से अपेक्षित स्तर के होंगे।

अन्य विषयों के प्रश्न-प्रत्र संबंधित विषयों में किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री परीक्षा के समकक्ष होंगे । उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिद्धांत तो तथ्य के आधार पर स्पष्ट करें और सिद्धांत की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें। आर्थिक क्षेत्र (क्षेत्रों) में उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय समस्याओं के विशेष रूप से परिचित हों ।

सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा । अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जिससे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तथा शब्दों के कार्य साध्क प्रयोग की जांच हो सके । संक्षेपण अथवा सारलेखन के लिए सामान्य: गद्यांश दिए जाएंगे ।

सामान्य अध्ययन

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसमें किसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन किया हो । इस प्रश्न-पत्र में देश की राजनितिक प्रणाली सहित भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधन, भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए ।

सामान्य अर्थशास्त्र–I

भाग क:

1. **उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत** : मूलाधार उपयोगिता विश्लेषण: सीमांत उपयोगिता और मांग, उपभोक्ता अधिशेष अनधिमान वक्र, विश्लेषण और उपयोगिता कार्य, मूल्य आय और स्थापना प्रभाव, स्लूटॅस्की प्रमेय और मांग वक्र ह्रास, प्रकटित अधिमान उपागम, द्वयात्मक और प्रत्यक्ष उपयोगिता कार्य और व्यय फलन, जोखिम और अनिश्चयता के अंतर्गता विकल्प, **पूर्ण सूचना के सरल क्रियाकलाप, नैश संतुलन की अवधारणा**।

2. **उत्पादन के सिद्धांत** : उत्पादन के कारण और उत्पादन, फलन के रूप के; काब–डगलस, स्थिर लोच स्थनापन्नता और नियत गुणांक प्ररूप, ट्रांसलोग उत्पादन फलन, प्रतिफल के नियम, प्रतिफल के अनमाप, उत्पादन के प्रतिफल संबंधी कारक, द्वयात्मक तथा लागत फलन, फर्मों की उत्पादक क्षमता का माप, तकनीकी एवं निर्धारण क्षमता, आंशिक संतुलन बनाम सामान्य संतुलन उपागम-फर्म तथा उद्योग का संतुलन।

3. **मूल्य के सिद्धांत** : विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के अंतर्गत कीमत निर्धारण, सार्वजनिक क्षेत्र कीमत निर्धारण, सीमांत, लागत कीमत निर्धारण चरम भार कीमत निर्धारण प्रति आर्थिक सहायता मुक्त कीमत निर्धारण तथा औसत लागत कीमत निर्धारण, मार्शल तथा वालरसन की स्थिरता विश्लेषण, अपूर्ण सूचना तथा व्यावहारिक संकटग्रस्त समस्याओं सहित कीमत निर्धारण।

4. **वितरण के सिद्धांत** : नव क्लासिकी वितरण के सिद्धांत : कारकों की कीमत निर्धारण के लिए सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, कारकों का योगदान तथा उनके समूहन की समस्या-आयलर प्रमेय, अपूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत कारकों का मूल्य निर्धारण, एकाधिकार और द्विपक्षीय एकाधिकार, रिकार्डो, मार्क्स, काल्डोर, कैलेकी के समिष्ट वितरण सिद्धांत।

5. **कल्याण मूलक अर्थशास्त्र** : अंतरवैयक्तिक तुलना तथा समूहन की समस्या, सार्वजनिक वस्तुएं तथा निकासी, सामाजिक तथा वैयक्तिक कल्याण के बीच अपसरण, प्रतिपूर्ति सिद्धांत, पैरेटो का इष्टतमवाद, सामाजिक वरण तथा अन्य अभिनव स्कूल, कोसे और सेन तथा गेम विचारधाराओं सहित।

भाग ख:

अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां

1. **अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां** : विभेदीकरण और एकीकरण तथा अर्थशास्त्र में उनका अनुप्रयोग, इष्टतमीकरण तकनीक, सेट्स, आव्यूह (मैट्रिसेज) तथा अर्थशास्त्र में उनका अनुप्रयोग, रैखिक बीजगणित और अर्थशास्त्र में रैखिक प्रोग्रामन और लिओनटिफ का निविष्ट-उत्पादन प्रदर्श (मॉडल)।

2. सांख्यिकीय एवं अर्थमितीय विधियां : केन्द्रीय प्रवृति और परिक्षेपण का मापन, सहसंबंध और समाश्रयण, काल श्रेणी सूचकांक, प्रतिचयन एवं सर्वेक्षण विधियां, प्राक्कल्पना परीक्षण, सरल अप्राचलिक परीक्षण, विभिन्न रैखिक एवं अरैखिक फलनों पर आधारित वक्रोरेखन न्यूनतम विधियां और अन्य बहुचर विश्लेषण (केवल अवधारणा तथा परिणामों की व्यवस्था), प्रसरण का विश्लेषण, कारक विश्लेषण, मुख्य घटक विश्लेषण, विभेदी विश्लेषण, आय वितरण; पैरेटो का वितरण नियम, लघुगणक प्रसामान्य वितरण, आय असमानता का मापन, लौरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक, **एकचर और बहुचर परावर्तन विश्लेषण, अपारंपरिक, स्वत: सह-संबद्ध और मल्टी कोलनियरिटी की समस्याएं और समाधान**।

सामान्य अर्थशास्त्र–II

1. आर्थिक विचारधारा : वाणिज्यवादी भू-अर्थशास्त्री, क्लासिकी, मार्क्सवादी, नव क्लासिकी, केंस और मौद्रिकवादी स्कूल विचारधारा।

2. राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक लेखाकरण की अवधारणा : राष्ट्रीय आय का मापन, सरकारी क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर आधारित राष्ट्रीय आय के रोज़गार और उत्पादन के तीन प्रचालित मापों के अंत: संबंध, पर्यावरणीय प्रतिफल, ग्रीन राष्ट्रीय आय।

3. रोज़गार, उत्पादन, मुद्रा स्फीति मुद्रा और वित्त के सिद्धांत : क्लासिकी सिद्धांत एवं नव-क्वासिकी उपागम। संतुलन, क्लासिकी के अंतर्गत विश्लेषण और नव-क्लासिकी विश्लेषण। रोज़गार और उत्पादन कीन्स का सिद्धांत, कीन्सोत्तर विकास। स्फीति अंतर; मांग उत्प्रेरित बनाम लागत जन्य स्फीति-फिलिप वक्र तथा उसके नीतिगत निहितार्थ। मुद्रा, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, परिणाम सिद्धांत की फ्राइडमैन द्वारा पुनर्व्याख्या, मुद्रा की तटस्थता, ऋण योग्य निधियों की पूर्ति और मांग तथा वित्तीय बाजार में संतुलन, मुद्रा की मांग पर कीन्स का सिद्धांत। **कीन्स के सिद्धांत में आईएस-एल मॉडल और एडी-एएस मॉडल**।

4. **वित्तीय और पूंजीगत बाजार** : वित्त और आर्थिक विकास, वित्तीय शेयर बाजार, गिफ्ट बाजार, बैंकिंग और बीमा, इक्विटी बाजार; प्राथमिक और द्वितीयक बाजार की भूमिका और कौशलता, व्युत्पन्न बाजार; भविष्य और विकल्प।

5. **आर्थिक वृद्धि और विकास** : आर्थिक वृद्धि एवं विकास की अवधारणा उनका मापन: अल्प विकसित देशों की विशेषताएं तथा उनके विकास के अवरोधक-वृद्धि, गरीबी और आय वितरण, वृद्धि के सिद्धांत: क्लासिकी उपागम: एडमस्मिथ, मार्क्स एवं शुम्पिटर-नव क्लासिकी उपागम, रॉबिन्सन, सोलो, कॉल्डोर एवं हैरोड डोमर। आर्थिक विकास के सिद्धांत, रोस्टॉव, रोसेन्स्टीन रोडन, नर्क्स, हिर्शचमॅन, लीबेल्सटिन एवं आर्थर लेविस, एमिन एवं फ्रैंक (आश्रित विचारधारा) राज्य तथा बाजार की अपनी-अपनी भूमिकाएं, सामाजिक विकास का उपयोगिवादी और कल्याणवादी उपागम तथा ए.के. सेन की समालोचना। आर्थिक विकास के लिए लेन की क्षमता उपागम। मानव विकास सूचकांक। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता और मानव गरीबी सूचकांक, **अंर्तजात वृद्धि सिद्धांत की मूल बातें**।

6. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा अभिलाभ, व्यापार की शर्तें, नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत: रिकार्डो, हैबर्लर, हेक्सचर-ओहलिन तथा स्टॉपलर-सैमुअलसन-प्रशुल्क के सिद्धांत – क्षेत्रीय व्यापार प्रबंध, **1998 का एसियन संकट, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट और यूरो क्षेत्र संकट - कारण और प्रभाव।**

7. भुगतान संतुलन : भुगतान संतुलन में विकृति, समायोजन तंत्र, विदेश व्यापार गुणक, विनियम दरें, आयात एवं विनियम नियंत्रण तथा बहुल विनिमय दरें, **भुगतान संतुलन के आईएस-एलएम तथा मंडेल फ्लेमिंग मॉडल**।

8. वैश्विक संस्थाएं : आर्थिक मामलों में संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम, **जी-20**

सामान्य अर्थशास्त्र–III

1. लोक वित्त: कराधान के सिद्धांत : इष्टतम कर और कर सुधार, कराधान के सूचक। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत : सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य और प्रभाव, सार्वजनिक व्यय नीति और सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण, सार्वजनिक निवेश निर्णयों के मानदंड, छूट की सामाजिक दर, निवेश के छाया मूल्य, अकुशल और विदेशी मुद्रा, बजटीय घाटा, सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन सिद्धांत।

2. पर्यावरण अर्थशास्त्र : पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास, **रियो प्रक्रिया 1992 से 2012,** ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद, समेकित पर्यावरणीय और आर्थिक लेखाकरण की संयुक्त राष्ट्र संघ की पद्धति, पर्यावरणीय मूल्य उपयोगकर्ताओं और गैर-उपयोगकर्ताओं का मूल्य, मूल्यांकन अभिकल्प और प्रकटित अधिमानक पद्धतियां, पर्यावरणीय नीतिगत लेखों का प्रकल्प: प्रदूषण कर और प्रदूषण अनुज्ञा, स्थानीय समुदायों द्वारा सामूहिक कार्रवाई और अनौपचारिक निवियमन नि:शेषणीय और नवीकरणीय संसाधनों के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण करार, जलवायु परिवर्तण की समस्याएं, क्वोटो प्रोटोकाल, **2017 तक के करार/समझौते, बाली कार्य योजना,** व्यापार योग्य अनुज्ञा और **कार्बन कर, कार्बन बाजार और बाजार तंत्र, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन जलवायु निधि**।

3. औद्योगिक अर्थशास्त्र : बाजार ढांचा, फर्मों का संचालन और कार्य निष्पादन, उत्पाद विभेदीकरण और बाजार संकेन्द्रण, एकाधिकारात्मक मूल्य सिद्धांत और अल्पाधिकारत्मक अंतरनिर्भरता और मूल्य निर्धारण, प्रविष्टिनिवारक मूल्यनिर्धारण, स्तर निवेश निर्णय और फर्मों का व्यवहार, अनुसंधान और विकास तथा नवीन प्रक्रिया, बाजार, ढांचा और लाभकारिता, फर्मों की लोकनीति का विकास।

4. राज्य, बाजार एवं नियोजन : विकासशील अर्थव्यवस्था में नियोजन, नियोजन विनियमन और बाजार, सूचक नियोजन, विकेन्द्रीकृत नियोजन ।

भारतीय अर्थशास्त्र

1. विकास एवं योजना का इतिहास : वैकल्पिक विकास नीतियां आयात स्थानापति और संरक्षण पर आधारित आत्मनिर्भरता का उद्देश्य और स्थिरीकरण एवं संरचनामक समायोजन-संवेष्टन पर आधारित 1991 के बाद के वैश्वीकरण नीतियां: राजकोषीय सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा व्यापार संबधी सुधार।

2. संघीय वित्त : राज्यों के राजकोषीय और वित्तीय अधिकारों के संबंध में संवैधनिक प्रावधान, वित्त आयोग और करों में भागीदारी के विषय में उनके सूत्र, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का वित्तीय पक्ष, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों का वित्तीय पक्ष।

3. बजट निर्माण तथा राजकोषीय नीति : कर, व्यय बजटीय घाटा, पेंशन एवं राजकोषीय सुधार, लोक ऋण प्रबंधन और सुधार, राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, भारत में काला धन तथा समानान्तर अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था परिभाषा, आकलन, उत्पत्ति, परिणाम तथा उपचार।

4. निर्धनता, बेरोजगारी तथा मानव-विकास : भारत में असमानता तथा निर्धनता उपायों का आकलन, सरकारी उपायों का मूल्यांकन, विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत का मानव सांसाधन विकास। भारत की जनसंख्या नीति तथा विकास।

5. कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी रणनीतियां : प्रौद्योगिकी एवं संस्थाएं : भूमि संबंध तथा भूमि सुधार, ग्रामीण ऋण, आधुनिक कृषि निविष्टियां तथा विपणन, मूल्यनीति तथा उत्पादान-वाणिज्यकरण तथा विशाखन। निर्धनता प्रशमन कार्यक्रम सहित सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रम सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना का विकास तथा नवीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

6. नगरीकरण एवं प्रवास के संबंध में भारत का अनुभव : प्रवसन प्रवाह के विभिन्न प्रकार और उद्भव तथा स्थानों की अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव, नगरीय अधिवास की विकास प्रक्रिया नगरीय विकास रणनीतियां।

7. उद्योग : औद्योगिक विकास की रणनीति : औद्योगिक नीति में सुधार, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण नीति, प्रतिस्पर्धा नीति, औद्योगिक वित्त के स्त्रोत, बैंक, शेयर बाजार, बीमा कंपनियां, पेंशन निधियां, बैंकेत्तर स्रोत तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश एवं सूचीगत निवेश में विदेशी पूंजी की भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार निजीकरण तथा विनिवेश।

8. श्रम : रोज़गार, बेरोजगारी तथा आंशिक रोज़गार, औद्योगिक संबंध तथा श्रम कल्याण-रोज़गार सृजन के लिए रणनीति-नगरीय श्रम बाजार तथा अनौपचारिक क्षेत्र में रोज़गार, राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट, श्रम संबंधी सामाजिक मुद्दे जैसे बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और इस के प्रभाव।

9. विदेश व्यापार : भारत के विदेश व्यापार की प्रमुख विशेषताएं, व्यापार की संरचना, दिशा तथा व्यवस्था व्यापार नीति संबंधी अभिनव परिवर्तन भुगतान संतुलन, प्रशुल्क; टैरिफ नीति, विनिमय दर तथा भारत और विश्वव्यापार संबठन (डब्ल्यूटीओ) की अपेक्षाएं, **द्विपक्षीय व्यापार करार और उनके निहितार्थ**।

10. मुद्रा तथा बैंकिंग : वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार, भारतीय मुद्रा बाजार की व्यवस्था, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, विकास वित्त पोषण संस्थाओं विदेशी बैंक तथा बैंकत्तर वित्तीय संस्थाओं की बदलती भूमिकाएं, भारतीय पूंजी बाजार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेवी वैश्विक वित्तीय बाजार का विकास तथा भारतीय वित्त से इसके संबंध, भारत में **वस्तु बाजार, स्पोट और वायदा बाजार, एफएमसी की भूमिका**।

11. **मुद्रास्फीति** : परिभाषा, प्रवृत्तियां, आकलन परिणाम और उपाय (नियंत्रण) थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अवयव और प्रवृतियां।

परिशिष्ट-II

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा

1. जो उम्मीदवार सफल होंगे उनकी नियुक्ति सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान में परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम और शिक्षण तथा परीक्षा पास करनी होगी।

2. यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशलता की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

3. परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है।

4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो उसे स्थायी पदों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध् होने पर पक्का कर दिया जाएगा।

5. **भारतीय आर्थिक सेवा** के लिए भर्ती की जानी है उसके लिए निर्धारित वेतनमान निम्न प्रकार हैं:-

भारतीय आर्थिक सेवा

	स्तर/पद	वेतन लेवल और वेतन में मैट्रिक्स
(1)	उच्च प्रशासनिक ग्रेड/ प्रधान सलाहकार	लेवल 17 - रु.2,25,000
(2)	उच्च प्रशासनिक ग्रेड/उच्च आर्थिक सलाहकार/ वरिष्ठ सलाहकार	लेवल 15 - रु.1,82,200-2,24,100
(3)	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/आर्थिक सलाहकार/ सलाहकार	लेवल 14 - रु.1,44,200-2,18,200
(4)	नान-फंक्शनल चयन ग्रेड/निदेशक/ अपर आर्थिक सलाहकार	लेवल 13 - रु.1,18,500-2,14,100
(5)	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/उप-आर्थिक सलाहकार/ संयुक्त निदेशक	लेवल 12 - रु.78,800-2,09,200
(6)	वरिष्ठ समय वेतनमान/ सहायक/ आर्थिक सलाहकार/ उप निदेशक	लेवल 11 - रु.67,700-2,08,700
(7)	कनिष्ठ समय वेतनमान/सहायक निदेशक/ अनुसंधान अधिकारी	लेवल 10 - रु.56,100-1,77,500

---

6. उक्त सेवा के अगले ग्रेड में पदोन्नति समय-समय पर यथा- संशोधित भारतीय आर्थिक सेवा नियमों के उपबंधें के अनुसार की जाएगी ।

भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है अथवा उसको किसी राज्य सरकार या गैर-सरकारी संगठन में निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

7. इस सेवा के अधिकारियों की सेवा की शर्तें तथा छुट्टी इत्यादि अन्य केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप 'क' के सदस्यों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शामिल होंगे ।

8. भविष्य निधि की शर्तें वही हैं जो सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित हैं किन्तु ऐसे संशोधों की शर्त के साथ ही जो समय-समय पर सरकार द्वारा किए जाएं।

परिशिष्ट-III

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

1. ये विनियम उम्मीदवारों की सुविध के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं वे विनियम स्वास्थ्य परीक्षक (मेडिकल एक्जामिनर्स) के मार्गनिर्देशन के लिए भी हैं । ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के चिकित्सा मानकों सहित उनके चिकित्सा परीक्षण संबंधी सभी प्रकार के नोटिस तथा सूचनाएं, भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2020 हेतु चिकित्सा परीक्षण प्रारंभ होने से पहले वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के विशिष्ट वेब पेज पर प्रदर्शित की जाएगी।

नोट: चिकित्सा बोर्ड, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की डॉक्टरी परीक्षा करते समय विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के संगत प्रावधानों को, जिसमें अनुज्ञेय शारीरिक विकलांगता की सीमा परिभाषित की गई है, ध्यान में रखेगा ।

2. (क) भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(ख) चिकित्सा परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी अर्थात् भाग-I जिसमें छाती के रेडियोग्राफिक परीक्षण (एक्स-रे परीक्षण) को छोड़कर सम्पूर्ण चिकित्सा सम्मिलित है मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी और भाग-II जिसमें रेडियोग्रापिफक परीक्षण (छाती का एक्सरे-परीक्षण) सम्मिलित होगा । भाग-II परीक्षा केवल उन्हीं उम्मीदवारों की की जाएगी जो परीक्षण के आधार पर सफल घोषित किए जाएंगे ।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो, जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाध पड़ने की संभावना हो ।

2. भारतीय (एंग्लो इंडियन सहित) जाति के उम्मीदवार की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवार को परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार में लाए । यदि वजन, कद और छाती के बारे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही वह उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा। फिर भी केवल उन उम्मीदवारों की छाती का एक्स-रे किया जाएगा जिन्हें चिकित्सा परीक्षण के भाग-II के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के निदेश दिए जाएंगे।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा: वह अपने जूते उतार देगा और उसे मापदण्ड (स्टेण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एडियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीध खड़ा होगा और उसकी ऐडियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे । उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेकेस ऑफ दी हैड लेवल) हारिजंटल बार सेंटीमीटरों में मापा जाएगा ।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका : इस प्रकार उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा ताकि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । पफीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफल (शोल्डर ब्लेड) निम्न कोणों (इन्फीरियर एंग्लस) से लगा और पफीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजंटल लेन) में रहे । फिर भुजाओं को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि पफीता अपने स्थान से हट न पाए । तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक पैफलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक पैफलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा । 84-89, 86-93 आदि माप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटरों से कम के भिन्न (प्रेफक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए ।

नोट: अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार नापनी चाहिए ।

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा । आधे किलोग्राम से कम के प्रेफक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा ।

(ख) चश्में के बिना नजर (नैकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में, मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल अधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्पफारमेशन) मिल जाएगी ।

(ग) चश्मे के साथ चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा:

दूर की नजर		**नजदीक की नजर**	
अच्छी आँख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आँख	अच्छी आँख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आँख
6/9	6/9 या 6/9 6/12	जे-I	जे-II

(घ) माययोपिया फण्ड्रस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए। यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्य-कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(घ) दृष्टि क्षेत्र में सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कप्रेंफटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध् हो तब दृष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) रतौंधी (नाईट ब्लाइन्डनेस) : साधरणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है : (1) विटामिन 'ए' की कमी के कारण और (2) रेटीना के शरीर रोग के कारण जिसकी आम वजह रेटिनिटिस पिगमैटीसा होती है। उपर्युक्त (1) में पंफडस की स्थिति सामान्य होती है। साधरणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन 'ए' के खाने से ठीक हो जाती है ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में पंफडस प्राय: होती है। अधिकांश मामलों में केवल पंफडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चलता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊँची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं। उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन परीक्षा में स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए विशेष तथा जब पंफडस न हो तो इलेक्ट्रोरेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है। इन दोनों जांचों (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्रापफी) में अधिक समय लगता है, और विशेष प्रबंध् और सामान की आवश्यकता होती है। इसलिए साधारण चिकित्सा जांच से इसका पता सम्भव नहीं है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी ड्रयूटी किस तरह की होगी।

(छ) दृष्टि की तीक्षणता से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन)

(1) आंख की उस बीमारी की या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिएक्टिव एरर) का जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्षणता के कम होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझा जाना चाहिए।

(2) भैंगापन (स्कर्विंट): तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (बाइनोकलर) दृष्टि अनिवार्य हो दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की होने पर भी भैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की होने पर भैंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(3) एक आंख: यदि किसी व्यक्ति की एक आंख अथवा यदि उसकी एक आंख की दृष्टि सामान्य हो और दूसरी आंख की मंद दृष्टि हो अथवा अप सामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्राय: यह होता है कि व्यक्ति में गहरी बोध हेतु त्रिविम दृष्टि का अभाव होता है। इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशंसित कर सकता है। बशर्ते कि सामान्य आंख:

(1) की दूर की दृष्टि 6/6 और निकट की दृष्टि जे. I का चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना ही बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्टस से अधिक न हो।

(2) की दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो।

(3) की सामान्य रंग दृष्टि जहां अपेक्षित थे:

बशर्ते कि बोर्ड को यह सामान्य हो जाए कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है।

(ज) कान्टेक्ट लेन्स: उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कान्टेक्ट लेन्स के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी। यह आवश्यक है कि आंख की जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाइप किए गए अक्षरों का उद्भासन 15 फुट ऊंचाई के प्रकाश से हो।

7. ब्लड प्रैशर

ब्लड प्रैशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रैशर के आकलन की काम चलाई विधि नीचे दी जाती है :

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रैशर लगभग 100 जमा आयु होता है।

(2) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों के ब्लड प्रैशर आकलन करने में 110 में आधी-आधी जोड़ देने का तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दें: सामान्य नियम के रूप में 140 एम.एम. के ऊपर के सिस्टालिक प्रैशर की और 90 एम.एम. से ऊपर डायस्टालिक प्रैशर को संदिग्ध् मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य/अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रैशर वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गनिक) बीमारी है ? ऐसे सभी केसों में हृदय को एक्सरे और विद्युत हृदय लेखी (इलेक्ट्रोकामिग्रापिफक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (क्लियरैंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रैशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमित पारे वाले दबावमापी (मर्करी मैनेमीटर) किस्म का उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेष कर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाए। भुजा पर से कन्धे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर इसके नीचे किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को पैफला कर समान रूप से लपेटना चाहिए; ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा पूफल कर बाहर न निकले।

कोहनी को मोड़ पर प्रकट ध्मनी (बेकिअल आर्टरी) को दबाकर ढूंढा जाता है तब तक उसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम.एम.एच. जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की श्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है। वह सिस्टालिक प्रैशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई-सी लुप्त प्राय: हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रैशर है। ब्लड प्रैशर काफी थोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए, क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबा रोगी के लिए क्षोभकार होता है और इसमें रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकालकर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए (कभी-कभी कफ) से हवा निकलने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दबाव गिरने पर ये गायब हो जाती हैं और निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती हैं। इस साइलेंट गैप से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड की किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके अन्य सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल पिफटनेस के स्टैण्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ पिफट घोषित कर सकता है । एक ग्लूकोज में अमधुमेही (नान-डायबिटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिकल के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टैण्डर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिक या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "पिफट" या "अनफिट" की अन्तिम राय आधरित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए ।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसका अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आरोग्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए, उसकी फिर से स्वास्थ्य की परीक्षा की जानी चाहिए ।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का परीक्षण करना चाहिए:

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं । यदि कान की कोई खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया आपरेशन या हियरिंऐड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शन जानकारी दी जाती है:

(1)	(2)
(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा ।	यदि उच्च प्रफीक्वेंसी मेंबहरापन 30 डेसीबेल तक हो, तो गैर-तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2) दोनों कानों में बहरापन या प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रव्ययंत्र (हियरिंऐड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो ।	यदि 1000 से 4000 तक स्पीच प्रफीक्वेंसीज में बहरापन 3 डेसीबेल तथा जो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य है ।
(3) सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्बरन में छिद्र ।	(1) एक कान सामान्य हो, दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधरने में दोनों कानों में मार्जिनल अन्य छिद्र वाले उम्मीदवार को अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(2) के अधीन विचार किया जा सकता है ।
	(2) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य ।
	(3) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(4) कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड केविटी से सब-नार्मल श्रवण।	(1) किसी एक कान के सामान्य रूप के एक ओर से मस्टाइड केविटी से सुनाई देता हो तो दूसरे कान में सब-नार्मल श्रवण वाले कान/मस्टाइड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य ।
	(2) दोनों ओर से मस्टाइड केविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य । यदि किसी भी कान श्रवणता श्रवणयंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर

	30 डेसिबेल हो जाने पर गैर-तकनीकी कामों के लिए योग्य ।
(5) वहते रहने वाला कान आपरेशन किया या बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थाई रूप से अयोग्य ।
(6) नसापट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनीडिफारमिटी रहित अथवा उससे नाक की प्रदाहक/एलर्जिक दशा) ।	(1) प्रत्येक मामले में परिस्थिति के अनुसार निर्णय किया जाएगा ।
	(2) यदि लक्षणों सहित नासापट अपसरण विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(7) टांसिल्स और/या स्वर यंत्र (लेरिक्सि) की जीर्ण दशा ।	(1) टांसिल और/या स्वर यंत्र (लेरिक्सि) की जीर्ण प्रदाहक प्रदाहक दशा योग्य ।
	(2) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(8) कान, नाक, गले (ई.एन.टी.)।	(1) हल्का ट्यूमर अस्थायी रूप से अयोग्य ।
	(2) दुर्दम्य ट्यूमर अयोग्य ।
(9) आस्टैक्लिरोंसिस	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के वाद श्रवणता 30 डैसीबेल के अन्दर होने पर योग्य ।
(10) कान, नाक अथवा गले के जन्म जात दोष	(1) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य ।
	(2) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य ।
(11) नेजल पोली	अस्थाई रूप से अयोग्य

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा) ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं। उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(घ) उसे पेट की बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रप्चर है या नहीं ।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई बेरिकोसील, बेरिकाजशिरा (वन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली-भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचार की बीमारी है या नहीं ।

(अ) कोई जन्म-जात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उम्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिससे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचार (कम्युनिकेवल) रोग है या नहीं ।

11. हृदय तथा फेफड़ों की किन्हीं ऐसी असामानताओं का पता लगाने, जिन्हें सामान्य शारीरिक परीक्षण के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, के लिए छाती का रेडियोग्राफी परीक्षण केवल उन्हीं उम्मीदवारों का किया जाएगा जिन्हें भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से सफल घोषित किया जाता है ।

अभ्यर्थी के स्वास्थ्य के बारे में केन्द्रीय स्थाई चिकित्सा मण्डल (संबंधित अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा का संचालन करने वाला) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

12. सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है । उसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपयन (ऐवरेशन) से पीड़ित होने का सन्देह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल में किसी मनोविकार विज्ञानी/मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है ।

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाये । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाध पड़ने की संभावना है या नहीं ।

13. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार 50 रु. का अपील शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जायेंगे । शेष दूसरों के बारे में यह जब्त कर लिया जायेगा । यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 2 दिन के अन्दर अपील पेश करनी चाहिए अन्यथा अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में होगी और स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की गई यात्रा के लिए कोई यात्रा तथा दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबंध के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जैसी भी स्थिति हो द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :

शारीरिक योग्यता (पिफटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवाकाल यदि हो, के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उसे सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना है ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबंध है जितना कि वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाये कि जहां प्रश्न निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

बोर्ड में सामान्यत: तीन सदस्य होंगे : (1) एक कार्य-चिकित्सक, (2) एक शल्य चिकित्सक और (3) एक नेत्र चिकित्सक । ये सभी यथासंभव साध्य समान स्तर के होने चाहिए । महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

भारतीय आर्थिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सख्रवस) करनी होगी । इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (पफील्ड सख्रवस) के योग्य हैं या नहीं। डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए ।

ऐसे मामले में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

ऐसे मामले में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार है कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बताने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वह डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति अधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में सम्बन्धित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर 'अयोग्य' करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया अधिक से अधिक 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

निश्चित अवधि के बाद अब दुबारा परीक्षा में तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए, उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

1. अपना पूरा नाम लिखें . . . . . .

(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म

स्थान बताएं . . . . . .

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैंड जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है । 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए । उत्तर 'हां' में हो तो उस जाति का नाम बताएं ।

(ख) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंडस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, पफेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमेटिज्स, एपेंडिसाईटिस हुआ है ।

अथवा

(ख) दूसरी कोई बीमारी या कोई दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो/हुई है ।

4. क्या आपको अधिक काम या दूसरे किसी कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है? . . . . . .

5. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें:-

यदि पिता जीवित हो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण की अवस्था	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1.			
2.			
3.			

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है । मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1.			
2.			
3.			

6. क्या इसके पहले मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा ली है?

7. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर "हां" में हो तो बताइए कि सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा ली गई थी।

8. परीक्षा लेने वाला अधिकारी कौन था?

9. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ?

10. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

11. उपर्युक्त सभी उत्तर मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं तथा मैं अपने द्वारा दी गई किसी सूचना में की गई विकृति या किसी संगत जानकारी को छुपाने के लिए कानून के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई का भागी होऊंगा। झूठी सूचनाएं देना व किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना अयोग्यता मानी जाएगी और मुझे सरकार के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। मेरे सेवाकाल के दौरान किसी भी समय ऐसी जानकारी मिलती है कि मैंने कोई गलत सूचना दी है या किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया है तो मेरी सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर . . . . . .

उपस्थिति में हस्ताक्षर . . . . . .

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर . . . . . .

प्रपत्र-I

उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास . . . . . अच्छा . . . . . बीच का कम . . . . . .कम पोषण पतला . . . . . .

औसत . . . . . .मोटा कद जूते उतार कर . . . . वजन . . . . . .अल्पतम वजन . . . . . कब था?

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन

तापमान : . . . . . .

छाती का घेराकृ

(1) पूरे सांस खींचने पर: . . . . . .

(2) पूरे सांस निकालने पर: . . . . . .

2. त्वचायें . . . . . कोई जाहिर बीमारी

3. नेत्र :

(1) कोई बीमारी . . . . . .

(2) रतौंधी . . . . . .

(3) कलर विजन का दोष . . . . . .

(4) दृष्टि क्षेत्र (पफील्ड आफ विजन) . . . . . .

(5) दृष्टि तीक्षणता (विजुअल एक्विटी) .....

(6) फण्डस की जांच .....

दृष्टि की तीक्षणता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की क्षमता गोल वर्टूल एक्सिस
दूर की नजर		दा. ने.	
		बा. ने.	
पास की नजर		दा. ने.	
		बा. ने.	

4. कान: निरीक्षण सुनना .....

दायां कान .....

बायां कान .....

5. ग्रंथियां थाइराइड

6. दांतों की हालत .....

7. श्वसन तंत्र (रेसपीरेटरी सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में से किसी असमानता का पता लगा है? यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्यूलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय: कोई आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन) गति रेट:- खड़े होने पर

25 बार कुदाए जाने पर .....

कुदाए जाने के दो मि. बाद .....

(क) ब्लड प्रैशर ..... सिस्टालिक ..... डायस्टालिक

9. उदरन (पेट): घेर ..... स्पार्शसहायता हख्रनया-

(क) दबाकर मालूम पड़ना/लिवर ....

तिल्ली .....गुर्दे .....

ट्यूमर .....

(ख) रक्तांश

भगन्दर

10. तांत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता भगन्दर का संकेत .....

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम)

असमानता .....

12. जलन मूत्र तंत्र (जैनिटो यूरिनरी सिस्टम) हाइड्रोसिल वरिकोसिल आदि का कोई संकेत।

मूत्र परीक्षाकृ

(क) कैसा दिखाई पड़ता है?

(ख) उपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिपिफक ग्रेविटी)

(ग) एलबूमन

(घ) शक्कर

(घ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती की जांच एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट ।

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है कि वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है ।

टिप्पण : महिला उम्मीदवार के मामले में यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भवती है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखें विनियम 9 ।

15. (क) क्या वह भारतीय आर्थिक सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर कार्य के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है?

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है?

टिप्पणी 1 : बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए ।

(i) स्वस्थ

(ii) . . . . . के कारण अस्वस्थ

(iii) . . . . . के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ ।

टिप्पणी 2 : उम्मीदवार की छाती का एक्स-रे परीक्षण नहीं किया गया है, इस कारण उपर्युक्त निष्कर्ष अंतिम नहीं है और छाती के एक्स-रे परीक्षण की रिपोर्ट के अध्यधीन है ।

स्थान : अध्यक्ष

दिनांक : हस्ताक्षर सदस्य

सदस्य

मेडिकल बोर्ड की मुहर

प्रपत्र-II

उम्मीदवार का कथन/घोषणा

1. अपना नाम: . . . . . .(बड़े अक्षरों में)

2. रोल नम्बर: . . . . . .

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मेडिकल बोर्ड द्वारा भरे जाने के लिए

टिप्पणी : बोर्ड को उम्मीदवार की छाती के एक्स-रे परीक्षण की जांच रिपोर्ट निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग के अंतर्गत अपने निष्कर्ष रिकार्ड करना चाहिए ।

उम्मीदवार का नाम . . . . . .

(i) स्वस्थ

(ii) . . . . . के कारण अस्वस्थ

(iii) . . . . . के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ ।

स्थान : अध्यक्ष

हस्ताक्षर सदस्य

दिनांक : सदस्य

मेडिकल बोर्ड की मुहर

परिशिष्ट -IV

बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कार्यात्मक वर्गीकरण और शारीरिक आवश्यकताएं

भारतीय आर्थिक सेवा

श्रेणी	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
बधिर या श्रवण बाधित	डी या एचएच	एमएफ, एस, एसटी, डब्ल्यू, सी, एसपी, आरडब्ल्यू, एसई, एच

परिशिष्ट -v

परीक्षार्थी में लिखने की शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ..... (बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार का नाम) सुपुत्र श्री/सुपुत्री श्री .....निवासी..... (गांव/जिला/राज्य) जो ..... विकलांगता प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशतता) से ग्रस्त हैं, का परीक्षण किया है तथा मैं यह कथन करता हूं कि वह शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त है जो उसकी शारीरिक सीमाओं के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती हैं ।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान

नोट: प्रमाण पत्र संबंधित रोग/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए। (उदाहरण के लिए नेत्रहीनता-नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर)

परिशिष्ट-VI

अपने स्क्राइब की सुविधा लेने हेतु वचनबंध

(उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को भेजा जाए)

मैं ..... (नाम), ... (विकलांगता का नाम) विकलांगता से ग्रस्त उम्मीदवार हूं तथा अनुक्रमांक ..... के तहत ..... (राज्य का नाम), ... जिले के..... (परीक्षा केन्द्र का नाम) केन्द्र पर .....(परीक्षा का नाम) की परीक्षा में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षिक योग्यता ..... है।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूं कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए श्री ..... (स्क्राइब का नाम) अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब/रीडर/लैब असिस्टेंट की सेवा प्रदान करेंगे।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता ..... है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित किए अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक पाई जाती हैं तो मैं इस पद और तत्संबंधी दावों पर अधिकार से वंचित कर दिया जाऊंगा।

(विकलांगता वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2020

RULES

No.11012/3/2019-IES.—The rules for the competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 2020 for the purpose of filling vacancies in Junior Time Scale (JTS) of the Indian Economic Service are published for general information. All candidates (male/female/transgender) are requested to carefully read these Rules and the examination notice of the UPSC derived from these Rules.

2. The number of vacancies to be filled through the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections (EWSs) and Persons with Benchmark Disabilities categories in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix-I to these rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either:—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) & (e) above shall be person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him/her by the Government of India.

5.(a) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on 1st August, 2020i.e he/she must have been born not earlier than 2nd August, 1990 and not later than 1st August, 1999.

(b) The upper age-limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years in the case of candidate belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates;

(iii) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(iv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 2020 and have been released : (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August, 2020 otherwise than by way of dismissal or discharge on account or misconduct or inefficiency; or (ii) on account of Physical disability attributable to Military Service; or (iii) on invalidment;

(v) up to a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 2020 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for Civil employment and that they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment;

(vi) up to a maximum of 10 years in the case of Persons with Benchmark Disabilities viz. (a) blindness and low vision; (b) deaf and hard of hearing; (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) multiple disabilities from amongst person under clauses (a) to (d) including deaf-blindness.

NOTE 1.- Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and Other Backward Classes who are also covered under any Other clauses of rule 5(b) above viz., those coming under the category of Ex-servicemen and Persons with Benchmark Disabilities viz. (a) Blindness and Low Vision; (b) Deaf and Hard of Hearing; (c) Locomotordisability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism and acid attack victims and muscular dystrophy; (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness etc. will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both the categories.

NOTE 2.- The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as Ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

NOTE 3.-The age concession under Rule 5(b)(iv) and (v) will be admissible to Ex-servicemen i.e. a person who has served in any rank whether as combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension.

NOTE 4.- Notwithstanding the provisions of age relaxation under Rule 5(b)(vi) above, a persons with Benchmark Disabilities will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or appointing authority as the case may be, may prescribed) if found to satisfy the requirement of physical and medical standard for the concerned Services/ Posts to be allocated to the persons with Benchmark Disabilities by the Government.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

The date of birth, accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extra from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction include the alternative certificates mentioned above.

NOTE-1: Candidate should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission, and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2: Candidates should also note that once date of birth has been **submitted by them in the application form** and entered in records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently (or at any other Examination of the Commission) on any grounds whatsoever.

6. A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a Post-Graduate Degree in Economics/Applied Economics/Business Economics/Econometrics from a University incorporated by of an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act Parliament or

declared to be deemed as University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or a Foreign University approved by the Central Government from time to time.

NOTE 1 - Candidates who have appeared at an examination, the passing of which would render them eligible to appear at this examination, but have not been informed of the result, may apply for admission to the examination. Candidates who intended to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce the proof of having passed the requisite qualifying examination along with the detailed application form which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the results of the written part of the examination. Such proof of passing the requisite examination should be dated earlier than the due date (closing date) of Detailed Application Form of the Indian Economic Service Examination.

NOTE 2 - In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has none of the foregoing qualification, as a qualified candidate provided that he/she has passed examinations conducted by other institutions the Standard of which in the opinion of the Commission, justifies his/her admission to the examination.

NOTE 3 - A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a Foreign University which is not recognised by the Government may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

9. The decision of the commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for, admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. Written Examination and Interview Test, will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on Verification, at any time, before or after the Written Examination or Interview Test, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he/she holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his/her candidature by the following means, namely:—

(a) offering illegal gratification to, or

(b) applying pressure on; or

(c) blackmailing or threatening to blackmail any person connected with the conduct of examination, or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature; or

(vi) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vii) resorting to the following means in connection with his/her candidature for the examination namely :—

(a) obtaining copy of question paper through improper means;

(b) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination;

(c) influencing the examiners; or

(viii) being in possession of or using unfair means during the examination; or

(ix) writing obscene matters, drawing obscene sketches or writing irrelevant matter in the scripts; or

(x) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or

(xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xii) being in possession of or using any mobile phone (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or blue tooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or

(xiii) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their admission certificates permitting them to take the examination; or

(xiv) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

may in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable:-

(a) **and shall** be disqualified by the Commission from the examination **held under these Rules** for which he/she is a candidate; and/or

(b) **shall be liable** to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he /she is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after:—

giving the candidate, an opportunity of making such representation in writing as he/she may wish to make in that behalf; and taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him/her into consideration.

11.1 Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the Commission of any of the misdeeds listed at the Clauses(i) to (xiii) above render himself/herself liable to action in terms of the Clause (xiv).

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination for the service as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for *viva voce* :

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, or the Other Backward Classes or the Economically Weaker Sections (EWSs) may be summoned for *viva voce* by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for *viva voce* on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. (i) After the interview, the candidates for the Service will be arranged by the Commission in order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the written examination as well as interview and in that order, so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled up on the results of the examination.

(ii) Candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes or the Economically Weaker Sections (EWSs) may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the Economically Weaker Sections (EWSs) be recommended by the Commission by a relaxed standard subject to the fitness of these candidates for appointment to the service:

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the Economically Weaker Sections (EWSs) who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/concessions in the eligibility or selection criteria at any stage of the examination shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the Economically Weaker Sections (EWSs).

14. The prescribed qualifying standard will be relaxable at the discretion of the Commission at all the stages of examination in favour of persons with Benchmark Disabilities in order to fill up the vacancies reserved for them:

Provided that where a Candidates belonging to Person with Benchmark Disability obtains the minimum qualifying marks in his own merit in the requisite number for General, or the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe or the Other Backward Class or the Economically Weaker Sections category candidates, then, the extra Candidates belonging to Persons with Benchmark Disability, i.e., more than the number of vacancies reserved for them shall be recommended by the Commission on the relaxed standards and consequential amendments in the rules will be notified in due course.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Success in the examination confers no right to **allocation & appointment** unless Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his/her character and antecedents and certificates produced by him/her during the course of examination for the purpose of eligibility as well as claiming any kind of benefit for reservation is suitable in all respects **including medical examination for allocation/ appointment** to the Service. **The decision of the Government in this regard shall be final.**

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his/her duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be may prescribed, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required toundergo Part I of the medical examination and the candidates who are declared finally successful on the basis of this examination, may be required to undergo Part II of the medical examination, the details of Parts I and II of the medical examination are given in the Appendix III to these Rules. No fee shall be payable to the Medical Board by the candidate for the medical examination except in the case of appeal. The standard for Transgender candidates would be posted on the dedicated Web-age of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs before commencement of the Medical Examination of Indian Economic Service Examination, 2020.

Note.—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled Ex-Defence Service personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Services.

18. The eligibility for availing reservation against the vacancies reserved for the persons with benchmark disability shall be the same as prescribed in "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016": The candidates of Multiple Disabilities will be eligible for reservation under category (e) Multiple Disabilities only of Section 34(1) of RPwD Act, 2016 and shall not be eligible for reservation under any other categories of disabilities i.e. (a) to (d) of Section 34(1) of RPwD Act, 2016 on account of having 40% and above impairment in any of these categories of PwBD:

Provided further that the persons with benchmark disability shall also be required to meet special eligibility criteria in terms of physical requirements/functional classification (abilities/disabilities) consistent with requirements of the identified service/ post as may be prescribed by its cadre controlling authority as per Appendix IV.

19. A candidate will be eligible to get the benefit of community reservation only in case the particular caste to which the candidates belong is included in the list of reserved communities issued by the Central Government. The candidates will be eligible to get the benefit of the Economically Weaker Section reservation only in case the candidate meets the criteria issued by the Central Government and in possession of such eligibility certification. If a candidate indicates in his/her application form for Indian Economic Service Examination, that he/she belongs to General category but subsequently writes to the Commission to change his/her category to a reserved one, such request shall not be entertained by the Commission. Further, once a candidate has chosen a reserved category, no request shall be entertained for change to other reserved category viz. SC to ST, ST to SC, OBC to SC/ST or SC/ST to OBC, SC to EWS, EWS to SC, ST to EWS, EWS to ST, OBC to EWS, EWS to OBC. No reserved category candidates other than those recommended on General Merit shall be allowed to change his/her category from Reserved to Unreserved or claim the vacancies for UR category after the declaration of final result by UPSC.

Further no Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidate of any subcategory thereunder shall be allowed to change his/her sub-category of disability.

While the above principle will be followed in general, there may be a few cases where there was a gap not more than 3 months between the issuance of a Government Notification enlisting a particular community in the list of any of the reserved communities and the date of submission of the application by the candidate. In such cases the request of change of category from general to reserved may be considered by the Commission on merit. In case

of a candidate unfortunately becoming a candidate belonging to person with benchmark disability during the course of examination, the candidate should produce valid documents to enable the Commission to take a decision in the matter on merit. In case of a candidate unfortunately becoming person with benchmark disability during the course of the examination process, the candidate should produce valid documents showing him/her acquiring a disability to the extent of 40% or more as defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 to enable him/her to get the benefits of reservation earmarked for persons with benchmark disability provided he/she otherwise remains eligible for the Indian Economic Service as per Rule 18 above.

20. Candidates seeking reservation/relaxation benefits available for SC/ST/OBC/EWSs/ RPwD/Ex-servicemen must ensure that they are entitled to such reservation/relaxation as per eligibility prescribed in the Rules/Notice. They should also be in possession of all the requisite certificates in the prescribed format in support of their claim as stipulated in the Rules/Notice for such benefits, and these certificates should be dated earlier than the due date (closing date) of the application. *The EWS Candidates applying for IES Exam, 2020 must produce an Income and Asset Certificate for F.Y. 2018-2019.*

21. No person:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service(s) :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

22. Brief particulars relating to the Service(s) to which recruitment is being made through this examination are stated in Appendix-II.

RAJIV MISHRA, Advisor

APPENDIX-I

SCHEME OF EXAMINATION

SECTION-I

The examination shall be conducted according to the following plan—

Part I-Written examination carrying a maximum of 1000 marks in the subjects as shown below.

Part II-*Viva voce* of such candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 200 marks.

PART-I

The subjects of the written examination under Part-I, the maximum marks allotted to each subject/paper and the time allowed shall be as follows :

Indian Economic Service

Sl. No.	Subject	Maximum Marks	Time Allowed
1.	General English	100	3 hrs.
2.	General Studies	100	3 hrs.
3.	General Economics-I	200	3 hrs.
4.	General Economics-II	200	3 hrs.
5.	General Economics-III	200	3 hrs.
6.	Indian Economics	200	3 hrs.

Note-1: The papers on General English and General Studies, common to both Indian Economic Service and Indian Statistical Service will be of subjective type.

Note-2: The details of standard and syllabi for the examination are given in Section-II below.

2. The question papers in all subjects will be of Conventional (essay) type.

3. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH; QUESTION PAPERS WILL BE SET IN ENGLISH ONLY.

4.1 Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. The Persons with Benchmark Disabilities in the categories of blindness, locomotor disability (both arm affected–BA) and cerebral palsy will be provided the facility of scribe, if desired by the person. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities as defined under section 2(r) of the RPWD Act, 2016, the facility of scribe will be allowed to such candidates on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Appendix–V.

4.2 The candidates have discretion of opting for his/her own scribe or request the Commission for the same. The details of scribe i.e. whether own or the Commission's and the details of scribe in case candidates are bringing their own scribe, will be sought at the time of filling up the application form online as per proforma at Appendix-VI.

4.3 The qualification of the Commission's scribe as well as own scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

4.4 The Persons with Benchmark Disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arm affected – BA) and cerebral palsy will be allowed Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities, this facility will be provided on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Appendix–V.

Note (1) : The eligibility conditions of a scribe, his/her conduct inside the examination hall and the manner in which and extent to which he/she can help the PwBD candidate in writing the Indian Economic Service Examination shall be governed by the instructions issued by the UPSC in this regard. Violation of all or any of the said instructions shall entail the cancellation of the candidature of the PwBD candidate in addition to any other action that the UPSC may take against the scribe.

Note (2) : The criteria for determining the percentage of visual impairment shall be as follows :—

Better eye Best Corrected	**Worse eye Best Corrected**	**Per Cent Impairment**	**Disability category**
6/6 to 6/18	6/6 to 6/18	0%	0
	6/24 to 6/60	10%	0
	Less than 6/60 to 3/60	20%	I
	Less than 3/60 to No Light Perception	30%	II (One eyed person)
6/24 to 6/60 Or Visual field less than 40 up to 20 degree around centre of fixation or heminaopia involving macula	6/24 to 6/60	40%	III a (low vision)
	Less than 6/60 to 3/60	50%	III b (low vision)
	Less than 3/60 to No Light Perception	60%	III c (low vision)
Less than 6/60 to 3/60 Or Visual field less than 20 up to 10 degree around centre of fixation	Less than 6/60 to 3/60	70%	III d (low vision)
	Less than 3/60 to No Light Perception	80%	III e (low vision)
Less than 3/60 to 1/60 Or Visual field less than 10 degree around centre of fixation	Less than 3/60 to No Light Perception	90%	IV a (Blindness)
Only HMCF Only Light Perception No Light Perception	Only HMCF Only Light Perception No Light Perception	100%	IV b (Blindness)

4.5 The concession admissible to blind candidates shall not be admissible to those suffering from Myopia.

5. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account, from the total marks otherwise accruing to him/her.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly effective and exact expression combined with due economy of words.

9. In the question papers, wherever required, SI Units will be used.

10. Candidates will be allowed the use of Scientific (Non-Programmable type) Calculators in Descriptive Type Papers at the examination. Programmable type calculators will, however, not be allowed and the use of such calculators shall tantamount to resorting to unfair means by the candidates. Loaning or interchanging of calculators in the Examination Hall is not permitted.

11. Candidates should use only International Form of Indian numerals (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

PART - II

Viva voce—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his/her career. The object of the interview is to assess his/her suitability for the service for which he/she has competed. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities for the candidate. The candidate will be expected to have taken an intelligent interest not only in his/her subjects of academic study but also in events which are happening around him/her both within and outside his/her own State or Country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth.

The technique of the interview is not that of a strict cross-examination, but of a natural, through directed and purposive conversation intended to reveal the candidate's mental qualities and his/her grasp of problems. The Board will pay special attention to assess the intellectual curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgment and alertness of mind, the ability for social cohesion, integrity of character initiative and capacity for leadership.

SECTION-II

STANDARD AND SYLLABI

The standard of papers in General English and General Studies will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected to illustrate theory by facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field of Economics.

GENERAL ENGLISH

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workman like use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

GENERAL STUDIES

General knowledge including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Indian Polity including the political system and the Constitution of India, History of India and Geography of a nature which a candidate should be able to answer without special study.

GENERAL ECONOMICS – I

PART A :

1. Theory of Consumer's Demand—Cardinal utility Analysis: Marginal utility and demand, Consumer's surplus, Indifference curve, Analysis and utility function, Price income and substitution effects, Slutsky theorem and derivation of demand curve, Revealed preference theory. Duality and indirect utility function and expenditure function, Choice under risk and uncertainty. **Simple games of complete information, Concept of Nash equilibrium.**

2. Theory of Production: Factors of production and production function. Forms of Production Functions: Cobb Douglas, CES and Fixed coefficient type, Translog production function. Laws of return, Returns to scale and Return to factors of production. Duality and cost function, Measures of productive efficiency of firms, technical

and allocative efficiency. Partial Equilibrium versus General Equilibrium approach. Equilibrium of the firm and industry.

3. Theory of Value: Pricing under different market structures, public sector pricing, marginal cost pricing, peak load pricing, cross-subsidy free pricing and average cost pricing. Marshallian and Walrasian stability analysis. Pricing with incomplete information and moral hazard problems.

4. Theory of Distribution: Neo classical distribution theories; Marginal productivity theory of determination of factor prices, Factor shares and adding up problems. Euler's theorem, Pricing of factors under imperfect competition, monopoly and bilateral monopoly. Macro- distribution theories of Ricardo, Marx, Kaldor, Kalecki.

5. Welfare Economics: Inter-personal comparison and aggression problem, Public goods and externalities, Divergence between social and private welfare, compensation principle. Pareto optimality. Social choice and other recent schools, including Coase and Sen.

PART B : Quantitative Methods in Economics

1. Mathematical Methods in Economics: Differentiation and Integration and their application in economics. Optimisation techniques, Sets, Matrices and their application in economics. Linear algebra and Linear programming in economics and Input-output model of Leontief.

2. Statistical and Econometric Methods: Measures of central tendency and dispersions, Correlation and Regression. Time series. Index numbers. Sampling of curves based on various linear and non-linear function. Least square methods and other multivariate analysis (only concepts and interpretation of results). Analysis of Variance, Factor analysis, Principle component analysis, Discriminant analysis. Income distribution: Pareto law of Distribution, longnormal distribution, measurement of income inequality. Lorenz curve and Gini coefficient. **Univariate and multivariate regression analysis. Problems and remedies of Hetroscedasticity, Autocorrelation and Multicollnearity.**

GENERAL ECONOMICS – II

1. Economic Thought: Mercantilism Physiocrats, Classical, Marxist, Neo-classical, Keynesian and Monetarist schools of thought.

2. Concept of National Income and Social Accounting: Measurement of National Income, Inter relationship between three measures of national income in the presence of Government sector and International transactions. Environmental considerations, Green national income.

3. Theory of employment, Output, Inflation, Money and Finance: The Classical theory of Employment and Output and Neo classical approaches. Equilibrium, analysis under classical and neo classical analysis. Keynesian theory of Employment and output. Post Keynesian developments. The inflationary gap; Demand pull versus cost push inflation, the Philip's curve and its policy implication. Classical theory of Money, Quantity theory of Money. Friedman's restatement of the quantity theory, the neutrality of money. The supply and demand for loanable funds and equilibrium in financial markets, Keynes' theory on demand for money. **IS-LM Model and AD-AS Model in Keynesian Theory.**

4. Financialand Capital Market: Finance and economic development, financial markets, stock market, gift market, banking and insurance. Equity markets, Role of primary and secondary markets and efficiency, Derivatives markets; Future and options.

5. Economic Growth and Development: concepts of Economic Growth and Development and their measurement: characteristics of less developed countries and obstacles to their development – growth, poverty and income distribution. Theories of growth: Classical Approach: Adam Smith, Marx and Schumpeter- Neo classical approach; Robinson, Solow, Kaldor and HarrodDomar. Theories of Economic Development, Rostow, Rosenstein-Roden, Nurske, Hirschman, Leibenstien and Arthur Lewis, Amin and Frank (Dependency scool) respective role of state and the market. Utilitarian and Welfarist approach to social development and A.K. Sen's critique. Sen's capability approach to economic development. The Human Development Index. Physical quality of Life Index and Human Poverty Index. **Basics of Endogenous Growth Theory.**

6. International Economics: Gains from International Trade, Terms of Trade, policy, international trade and economic development- Theories of International Trade; Ricardo, Haberler, Heckscher- Ohlin and Stopler-Samuelson- Theory of Tariffs- Regional Trade Arrangements. **Asian Financial Crisis of 1997, Global Financial Crisis of 2008 and Euro Zone Crisis- Causes and Impact.**

7. Balance of Payments: Disequilibrium in Balance of Payments, Mechanism of Adjustments, Foreign Trade Multiplier, Exchange Rates, Import and Exchange Controls and Multiple Exchange Rates. **IS-LM Model and Mundell- Fleming Model of Balance of Payments.**

8. Global Institutions: UN agencies dealing with economic aspects, **role of Multilateral Development Bodies (MDBs), such asWorld Bank, IMF and WTO, Multinational Corporations. G-20.**

GENERAL ECONOMICS – III

1. Public Finance—Theories of taxation: Optimal taxes and tax reforms, incidence of taxation. Theories of public expenditure: objectives and effects of public expenditure, public expenditure policy and social cost benefit analysis, criteria of public investment decisions, social rate of discount, shadow prices of investment, unskilled labour and foreign exchange. Budgetary deficits. Theory of public debt management.

2. Environmental Economics—Environmentally sustainable development, **Rio process 1992 to 2012,** Green GDP, UN Methodology of Integrated Environmental and Economic Accounting. Environmental Values: Users and non-users values, option value. Valuation Methods: Stated and revealed preference methods. Design of Environmental Policy Instruments: Pollution taxes and pollution permits, collective action and informal regulation by local communities. Theories of exhaustible and renewable resources. International environmental agreements, **RIO Conventions**. Climatic change problems. Kyoto protocol, **UNFCC, Bali Action Plan, Agreements up to 2017,** tradable permits and carbon taxes. **Carbon Markets and Market Mechanisms. Climate Change Finance and Green Climate Fund.**

3. Industrial Economics—Market structure, conduct and performance of firms, product differentiation and market concentration, monopolistic price theory and oligopolistic interdependence and pricing, entry preventing pricing, micro level investment decisions and the behaviour of firms, research and development and innovation, market structure and profitability, public policy and development of firms.

4. State, Market and Planning—Planning in a developing economy. Planning regulation and market. Indicative planning. Decentralised planning.

INDIAN ECONOMICS

1. History of development and planning— Alternative development strategies—goal of self-reliance based on import substitution and protection, the post-1991 globalisation strategies based on stabilisation and structural adjustment packages: fiscal reforms, financial sector reforms and trade reforms.

2. Federal Finance—Constitutional provisions relating to fiscal and financial powers of the States, Finance Commissions and their formulae for sharing taxes, Financial aspect of Sarkaria Commission Report, financial aspects of 73rd and 74th Constitutional Amendments.

3. Budgeting and Fiscal Policy—Tax, expenditure, budgetary deficits, pension and fiscal reforms, Public debt management and reforms, Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, Black money and Parallel economy in India—definition, estimates, genesis, consequences and remedies.

4. Poverty, Unemployment and Human Development—Estimates of inequality and poverty measures for India, appraisal of Government measures, India's human development record in global perspective. India's population policy and development.

5. Agriculture and Rural Development Strategies— Technologies and institutions, land relations and land reforms, rural credit, modern farm inputs and marketing— price policy and subsidies; commercialisation and diversification. Rural development programmes including poverty alleviation programmes, development of economic and social infrastructure and New Rural Employment Guarantee Scheme.

6. India's experience with Urbanisation and Migration—Different types of migratory flows and their impact on the economies of their origin and destination, the process of growth of urban settlements; urban development strategies.

7. Industry: **Strategy of industrial development**— Industrial Policy Reform; Reservation Policy relating to small scale industries. Competition policy, Sources of industrial finances. Bank, share market, insurance companies, pension funds, non-banking sources and foreign direct investment, role of foreign capital for direct investment and portfolio investment, Public sector reform, privatisation and disinvestment.

8. Labour—Employment, unemployment and underemployment, industrial relations and labour welfare—strategies for employment generation—Urban labour market and informal sector employment, Report of National Commission on Labour, Social issues relating to labour e.g. Child Labour, Bonded Labour International Labour Standard and its impact.

9. Foreign trade—Salient features of India's foreign trade, composition, direction and organisation of trade, recent changes in trade, balance of payments, tariff policy, exchange rate, India and WTO requirements. **Bilateral Trade Agreements and their implications.**

10. Money and Banking—Financial sector reforms, Organisation of India's money market, changing roles of the Reserve Bank of India, commercial banks, development finance institutions, foreign banks and non-banking

financial institutions, Indian capital market and SEBI, Development in Global Financial Market and its relationship with Indian Financial Sector. **Commodity Market in India-Spot and Futures Market, Role of FMC.**

11. Inflation—Definition, trends, estimates, consequences and remedies (control): Wholesale Price Index. Consumer Price Index: components and trends.

APPENDIX-II

BRIEF PARTICULARS RELATING TO THE SERVICES TO WHICH RECRUITMENT IS BEING MADE THROUGH THIS EXAMINATION

1. Candidates selected for appointment to the service will be appointed to Junior Time Scale of the Services on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instructions and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that he/she is unlikely to become efficient Government may discharge him/her forthwith.

3. On the expiry of the period of probation or of any extension, if the Government are of opinion that a candidate is not fit for the permanent appointment, Government may discharge him.

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment, be confirmed in his/her appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for the Indian Economic Service to which the recruitment is being made are as follows:

Indian Economic Service

Level/Post	Pay Level and Pay Matrix
(i) Higher Administrative Grade+/ Principal Adviser	Level 17 - Rs.2,25,000
(ii) Higher Administrative Grade/Senior Economic Adviser/Senior Adviser	Level 15 - Rs.1,82,200 - 2,24,100
(iii) Senior Administrative Grade/ Economic Adviser/Adviser	Level 14 - Rs.1,44,200 – 2,18,200
(iv) Non-Functional Selection Grade Director/ Addl. Economic Adviser	Level 13 - Rs.1,18,500 – 2,14,100
(v) Junior Administrative Grade/Joint Director/Dy. Economic Adviser	Level 12 - Rs.78,800 – 2,09,200
(vi) Senior Time Scale/Dy. Director/ Asstt. Economic Adviser	Level 11 - Rs.67,700 – 2,08,700
(vii) Junior Time Scale/Asstt. Director/Research Officer	Level 10 - Rs.56,100 – 1,77,500

6. Promotion to the next Grade of the service will be made in accordance with the provisions of Indian Economic Service Rules, as amended from time to time.

An officer belonging to the Indian Economic Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any State Government or non-Governmental organisation on deputation for a specified period.

7. Conditions of Service, leave and pension, etc. for officers of the Service will be governed by the rule applicable to members of others Central Civil Services Group 'A'.

8. Conditions of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Service) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX-III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

1. These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines

to the medical examiners. All kinds of notices and information relating to the medical examination of the Transgender Candidates including the medical parameters for Transgender candidates would be posted on the dedicated web page of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs before the commencement of the medical examination of IES Exam, 2020.

Note.—"The Medical Board while conducting medical examination of the candidates who have applied against the posts reserved for persons with Benchmark Disability will keep the relevant provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 wherein the extent of permissible physical disability has been defined.

2. (a) The Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

(b) The medical examination shall be conducted in two parts, i.e. Part I which shall consist of the entire medical examination which the medical board may prescribe for a candidate except the Radiographic Examination of the chest (X-ray test) and Part II which shall consist of Radiographic Examination (X-ray test of the chest). The Part II shall be conducted only in respect of the candidates who have been declared finally successful on the basis of the examination.]

1. To be passed as fit for appointment A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his/her appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth to the candidates should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not by the Board.

However, the X-ray of the chest will be done in respect of only such candidates who are directed to appear before the Medical Board for Part II of the medical examination.

3. The candidates height will be measured as follows :—

He/she remove his/her shoes and be placed against the standard with his/her feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He/she will stand erect without rigidity and with the heels calve buttocks and shoulders touching the standard. The chain will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimeters' and part of a centimeter to halves.

4. The candidates chest will be measured, as follows :

He/she will be made to stand erect with his/her feet together and to raise his/her arms over his/her head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimeter 84-89, 86-93 etc. In recording the measurements, fractions of less than a centimeter should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighted, and his/her weight recorded in kilograms; fraction of half kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses:

Distant Vision		Near Vision	
Better eye (Corrected vision)	Worse eye (Corrected vision)	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/9	6/9 or 6/12	J-I	J-II

(d) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he/she should be declared unfit.

(e) Field of Vision.—The field of vision will be tested by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) Night Blindness.—Broadly there are two types of night blindness : (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina-a common cause being RefinitsPigmentosa in (1) the fundus is normal generally seen in younger age-group and ill-nourished Persons and improves by the large doses of Vit. A and (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the conditions. For (2) specially when fundus is not involved electro-retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation) and retinography are time consuming and require specialized set-up and equipment and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical considerations it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) Ocular condition, other than visual acuity.—

(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) Squint.—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard should be considered disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) One eye.—If a person has one eye or if he/she has one eye which has normal vision and the other eye is ambiopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of death. Such vision is not necessary for many civil posts. The Medical Board may recommend as fit such person provided the normal eye has :

(i) 6/6 distant vision and J-I near vision with or without glasses provided the error in any meridian is not more than 4 dioptres for distant vision.

(ii) full field of vision.

(iii) normalcolour vision, wherever required :

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) Contact Lenses.—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye tests the, illumination of the type letters for distant vision should have an illumination 15 foot-candles.

7. Blood Pressure.—The board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :

(i) With young subjects 15—25 years of the age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their Final opinion regarding the candidate's fitness otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure, is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury monometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement provided the patient and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm supported comfortably at the patient's side in it more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of clothes bandage should spread evenly over the bas to avoid bulging during inflation.

The bronchial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below but not in contract with the cuff. This is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard or at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. The 'Silent Gap' may cause error on reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. It expect for the glycosuria the Board finds the candidate confirm to the standard of medical fitness required they may pass the candidate fit subject to the glycosuria being non-diabetic and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examination, clinical and laboratory he/she considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his/her opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be 'necessary to retain a candidate for several days in hospital' under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :

(a) That the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist :

provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

(1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal	Fit for non-technical jobs if the deafness is up to 30 decibles in higher frequency.
(2)Perceptive, deafness in both ears in which some improvement is possible	Fit in respect of both technical and non-technical job if the deafness is up to 30 decibles in speech frequency of 1000 to 4000.
(3) Perforation, tympanic membrane of central or marginal type.	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity, sub-normal hearing on one side/on both sides.	Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below: (ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit. (iii) Central perforation in both ears—Temporarily unfit.
(5) Persistently/discharging ear operated/unoperated.	Temporarily unfit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/ allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual case. (ii) If deviated nasal septum is present with symptoms—Temporarily unfit.
(7) Chronic inflammatory/ conditions of tonsils and or Larynx. Larynx—Fit.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then — Temporarily unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the ENT	(i) Benign tumors— Temporarily unfit. (ii) Malignant tumors—Unfit.

(9) Otosclerosis	If the hearing is within 30 decibles after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions —Fit. (ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11) Nasal Poly	(i) Temporarily Unfit;

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and that he/she provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be consider as sound);

(d) that the chest is well formed and his/her chest expansion sufficient; and that his//her heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he/she is not ruptured;

(g) that he/she does not suffer from hydrocele a severe degree of varicoele, varicose veins or piles;

(h) that his/her limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;

(i) that he/she does not suffer from any inveterate skin-disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he/she does bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitutions;

(l) that he/she bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he/she is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination, will be restricted to only such candidates who are declared finally successful at the Indian Economic Service Examination.

The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the concerned candidate) about the fitness of the candidate shall be final.

12. In case of doubt regarding health of a candidate, the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, e.g. if a candidate is suspected to suffering from any mental defect or aberration, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his/her opinion whether or not it is likely to interfere with efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

13. The candidate filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs.50 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeal should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise, request for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Board would be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible to the journey performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Board would be taken by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs as the case may be; on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government or the appointing authority as the case may be, that he/she as no disease constitutional affection or bodily infirmity unfitting him/her likely to unfit him/her for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and the rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which is only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

The Board should normally consist of three members : (i) a Physician, (ii) a Surgeon and (iii) an Opthalmologist all of whom should as far as practicable be of equal status. A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Economic Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his/her fitness or otherwise for field service. The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board. In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment, (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been affected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In case of candidates who are to be declared "Temporarily unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum.

On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unift for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration

The candidate must make the statement required below prior to his/her Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His/her attention is specially directed to the warning contained in the note below :

1. State your name in full (in block letters) .....
2. State your age and birth place .....
3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwali, Assamese, Nagaland Tribes etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race. .....

   (b) Have you ever had small pox, intermittent or any other fever enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung diseases, fainting attacks, rheumatism appendicitis .....

   or

   Any other disease of accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ? .....
4. Have you suffered from any form of nervousness due to overwork or any other cause .....
5. Furnish the following particulars concerning your family :

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at death and cause of death
1.			
2.			
3.			

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at death and cause of death
1.			
2.			
3.			

6. Have you been examined by a Medical Board before? .....

7. If answer to above is 'yes' please state what Service/ Services, you were examined for ? .....

8. Who was the examining authority? .....

9. When and where was the Medical Board held? .....

10 Results of the Medical Board's examination, if communicated to you or if, know? .....

11. All the above answers, are to the best of my knowledge and belief, true and correct and I shall be liable for action under law for any material infirmity in the information furnished by me, or suppression of relevant material information. The furnishing of false information or suppression of any factual information would be a disqualification and is likely to render me unfit for employment under the Government. If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information comes to notice at anytime during my service, my services would be liable to be terminated.

Candidate's Signature

Signed in my presence

Signature of the Chairman of the Board

PROFORMA—I

Report of the Medical Board on (name of candidate) Physical examination .....
.....

1. General development..... Good..... fair..... poor.....

Nutrition:

Thin .....Average .....Chest ..... Height (without shoes) .....

Weight.....Best.....
Weight..... When?.....any recent change in weight?..... Temperature.....
Girth of Chest:

(1) After full inspiration .....

(2) After full expiration.....

2.Skin any obvious disease.....
3. Eyes:

(1) Any disease .....

(2) Night blindness.....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of vision.....

(5) Visual acuity.....

(6) Fundus examination.....

	Acquity of vision	Naked eye with glasses	Strength of glasses
			Sph. Cly. Axis
Distant Vision			
R.E.			
L.E.			
Near Vision			
R.E.			
L.E.			

4. Ears : Inspection.....Hearing

Right Ear..... Left Ear .....

5. Glands .....Thyroid .....

6. Condition of teeth .....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ? If yes, explain fully : .....

8. Circulatory System

(a) Heart : Any organic lesions?

.....Rate

Standing.....

After hopping 25 Times .....

2 minutes after hopping .....

(b) Blood Pressure Systolic.....

Diastolic.....

9. Abdomen: Girth.....

Tenderness.....

Hernia.....

(a) Palpable: Liver..... Spleen.....

Kidneys.....Tumours.....

(b) Haemorrhoids..... Fistula.....

10. Nervous System Indication of nervous of mental Disabilities ....

11. Loco-Motor System : Any abnormality .....

12. GenitoUrinary System : Any evidence of varicocele, etc. Urine Analysis :

(a) Physical appearance.....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen.....

(d) Sugar.....

(e) Casts.....

13. Report of Screening/X-ray Examination of Chest .....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate?

Note : In case of female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* regulation 9.

15. (i) Has he been found qualified in-all respect for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service ?

(ii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

Note (I) : The Board should record their findings under one of the following three categories:

(i) Fit .....

(ii) Unfit on account of.....

(iii) Temporarily unfit on account of.....

Note (II) : The candidate has not undergone chest X-ray test. In view of this, the above findings are not final and are subject to the report on chest X-ray test.

Place :

Date :

Chairman

Signature Member

Member

Seal of the Medical Board

PROFORMA—II

Candidate's Statement/Declaration

1. State your Name
   (in block letters)

2. Roll No.

Candidate's Signature

Signed in my presence

Signature of the Chairman of the Board

To be filled-in by the Medical Board

Note : The Board should record their findings under one of the following three categories in respect of chest X-ray test of the candidate.

Name of the Candidate .....

(i)Fit..... \

(ii)Unfit on account of.....

(iii)Temporarily unfit on account of.....

Place:

Date:

Chairman

Signature Member

Member

Seal of the Medical Board

Appendix-IV

The Functional Classifications and Physical Requirements for Persons with Benchmark Disability

Indian Economic Service

Category	Functional Classification	Physical Requirements
Deaf or Hard of Hearing	D, HH	MF, S, ST, W,C,SP,RW,SE,H.

Appendix – V

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs..... (name of the candidate with benchmark disability), a person with ..... (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/ D/o....., a resident of ..... (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon /

Medical Superintendent of a Government Healt Care Institution.

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual Impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).

Appendix – VI

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

(To be filled by the candidates online to the Commission)

I....., a candidate with.....(name of the disability) appearing for the ..... (name of the examination)..... bearing Roll No. ..... at ..... (name of the centre) in the District ....., ... (name of the State). My qualification is .....

I do hereby state that ..... (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ..... In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims thereto.

(Signature of the candidates with Disability)

Place:

Date:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.